सफाई ठेका हेतु ई–निविदा विज्ञप्ति

नवीन मण्डी स्थल, जहाँगीराबाद के सफाई कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 (दिनांक 01.06.2026 से दिनांक 31.04.2027 तक) के लिये ऑनलाइन निविदा http://etender.up.nic.in पोर्टल पर दिनांक 20.05.2026 से दिनांक 28.05.2026 समय अपरान्ह 03:00 बजे तक पंजीकृत (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सहित) निविदादाता द्वारा डाउनलोड कर अपलोड की जा सकती है। तकनीकी निविदा दिनांक 29.05.2026 को अपरान्ह 12:00 बजे समिति कार्यालय जहाँगीराबाद में खोली जायेंगी। जांचोपरान्त उपयुक्त पाये जाने पर वित्तीय बिड खोली जायेंगी। टेण्डर फार्म फीस रू0 295/– जी.एस.टी. सहित का डिमाण्ड ड्राफ्ट, जो ए0पी0एम0सी0 जहाँगीराबाद के पक्ष में देय हो, ई–टेण्डर वेबसाइट पर अपलोड कर उसकी मूल प्रति एवं तकनीकी व वित्तीय निविदा सीलबन्द लिफाफे में समिति कार्यालय में हार्डकापी दिनांक 28.05.2026 को समय 05:00 बजे सायं तक समिति कार्यालय में जमा करनी होगी। 10 माह की अवधि के टेण्डर की कुल धनराशि रू0 1469167 लाख वार्षिक अर्थात रू0 146916/–प्रतिमाह एवं जी0एस0टी0 अलग से निर्धारित है। आवेदनकर्ता को जमानत/धरोहर धनराशि के रूप में रू0 146917/–की एफ0डी0आर0, जो सचिव कृषि उत्पादन मण्डी समिति, जहाँगीराबाद के नाम बंधक हो, मूलरूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा। शेष नियम व शर्तें http://etender.up.nic.in वेबसाइट व कार्यालय नोटिस पर पढ़ी/देखी व डाउनलोड की जा सकती हैं।

(अनिल कुमार)
प्रभारी सचिव
मण्डी समिति, जहाँगीराबाद

(प्रियंका कुमारी)
उपजिलाधिकारी/सभापति
मण्डी समिति, जहाँगीराबाद

कार्यालय कृषि उत्पादन मण्डी समिति, जहाँगीराबाद (बुलन्दशहर)

नवीन मण्डी स्थल जहाँगीराबाद, जनपद–बुलन्दशहर (उ0प्र0)

पत्रांक :कृ0उ0म0स0/2026–27/78 दिनांक : 19-05-2026

प्रतिलिपि–
1. उपनिदेशक (प्रशा0/विप0) मण्डी परिषद, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. कृषि उत्पादन मण्डी समिति, जहाँगीराबाद/नगर पालिका परिषद, जहाँगीराबाद/विकास खण्ड, जहाँगीराबाद/तहसील, अनूपशहर के कार्यालय सूचना पटों पर प्रचार प्रसार हेतु चस्पा।
3. सम्पादक, दैनिक समाचार–पत्र, हिन्दुस्तान एवं अमर उजाला को इस आशय से कि आगामी अंक में कम से कम स्थान में विज्ञप्ति प्रकाशित कराकर बिल नियमानुसार जिला सूचना अधिकारी से सत्यापित कराकर दो प्रतियों में भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।
4. जिला सूचना अधिकारी, बुलन्दशहर की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
5. नवीन मण्डी स्थल, जहाँगीराबाद में सुलभ दृष्टव्य स्थानों पर चस्पा हेतु।

(अनिल कुमार)
प्रभारी सचिव
मण्डी समिति, जहाँगीराबाद

Scanned with OKEN Scanner

कृषि उत्पादन मण्डी समिति, जहाँगीराबाद (बुलन्दशहर)

नवीन मण्डी स्थल, जहाँगीराबाद, जनपद–बुलन्दशहर (उ0प्र0)

नवीन मण्डी स्थल, जहाँगीराबाद के फल–सब्जी एवं खाद्यान्न/गल्ला खण्ड परिसर की सफाई कार्य/ठेका हेतु नियम व शर्तें

परिषद मुख्यालय के निर्देशों के क्रम में कृषि उत्पादन मण्डी समिति, जहाँगीराबाद के नवीन मण्डी स्थल के फल–सब्जी एवं खाद्यान्न/गल्ला खण्ड की सफाई कार्य को आउटसोर्सिंग ठेका से कराये जाने हेतु निम्नानुसार शर्तें निर्धारित की जाती हैं:–

1. सफाई कार्य के ठेके की अवधि ठेका स्वीकृति के उपरान्त कार्य प्रारम्भ करने के दिनांक से उस वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह अर्थात 31 मार्च तक के लिये होगी।
2. सफाई कार्य की निविदा निर्धारित प्रारूप/फार्म पर प्राप्त की जायेगी, जो http://etender.up.nic.in पोर्टल से अपलोड किया जा सकेगा एवं टैण्डर फार्म शुल्क रू0 295/– जी0एस0टी0 सहित का डिमाण्ड ड्राफ्ट, जो ए0पी0एम0सी0 जहाँगीराबाद के पक्ष में देय हो, ईटेण्डर पोर्टल पर अपलोड कर उसकी मूल प्रति तकनीकी व वित्तीय निविदा की हार्डकॉपी के साथ सीलबन्द लिफाफे में समिति कार्यालय में जमा करायी जायेगी।
3. सफाई ठेके के लिये फर्म/व्यक्ति का जी0एस0टी0 में पंजीकृत प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. ठेकेदार को फर्म/व्यक्ति के श्रम विभाग में पंजीकृत प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति निविदा फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. फर्म/व्यक्ति का चरित्र प्रमाण पत्र, जो सक्षम स्तर (जिलाधिकारी स्तर) से जारी हो और उसकी वैधता की समय सीमा 3 वर्ष हो, की स्व–प्रमाणित छायाप्रति निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. फर्म/व्यक्ति को तीन वर्ष के टर्न ओवर/अनुभव प्रमाण पत्र जमा/प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. फर्म/व्यक्ति को आयकर विभाग से जारी पैनकार्ड की छायाप्रति निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
8. एक फर्म/व्यक्ति द्वारा एक मण्डी स्थल की सफाई कार्यों के लिए एक ही ई–टेण्डर दिया जायेगा, जो सरकारी वेबसाइट http://etender.up.nic.in के माध्यम से ही डाला जा सकेगा।
9. निविदादाता द्वारा अपूर्ण/आधे–अधूरे भरे टैण्डर फार्म/आवेदन जमा करने पर उसे बिना कारण बताये अस्वीकृत कर दिया जायेगा तथा जिसके सम्बन्ध में कोई दावा मान्य/स्वीकार नहीं होगा।
10. समस्त अथवा किन्हीं निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त/अस्वीकृत करने का अधिकार निविदा समिति/स्वीकर्ता अधिकारी में निहित होगा।
11. निविदादाता/फर्म को नियमानुसार जमानत के रूप में कुल ठेके की राशि/निविदा राशि (जी0एस0टी0 रहित) की 10% राशि की एफ0डी0आर0/राष्ट्रीय बचत पत्र, जो **"कृषि उत्पादन मण्डी समिति, जहाँगीराबाद"** के नाम बंधक हो, निविदा फार्म के साथ समिति कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। जमानत/धरोहर धनराशि निविदा विज्ञप्ति में देखी जा सकती है।

Scanned with OKEN Scanner

12. मानक के अनुरूप सफाई कार्य में गुणवत्ता बनाये रखने के दृष्टिगत आगणित धनराशि से 15 प्रतिशत से अधिक न्यून निविदा टेण्डर समिति/स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर पुनः अग्रेतर कार्यवाही पर विचार किया जायेगा।

13. निविदादाता/अनुबन्धतकर्ता फर्म/व्यक्ति के किसी कार्यालय से ब्लैक लिस्टिड होने अथवा आपराधिक छवि होने का पता चलने पर प्राप्त निविदा अथवा स्वीकृत टैण्डर बिना कारण बताये अस्वीकृत/निरस्त कर दिया जायेगा तथा इस हेतु उसे शपथ-पत्र देना अनिवार्य होगा।

14. निविदा के सम्बन्ध में प्राप्त समस्त दस्तावेज चैक करने के उपरान्त यदि दस्तावेज/अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो दिया गया ठेका बिना नोटिस दिये अस्वीकृत/निरस्त कर दिया जायेगा।

15. सर्वप्रथम तकनीकी निविदा खोली जायेगी। समस्त दस्तावेज चैक करने के उपरान्त ही वित्तीय बिड खोली जायेगी। यदि निविदा के आवश्यक दस्तावेज/अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उसकी दरें नहीं खोली जायेगी।

16. एकल निविदा आने पर टैण्डर स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा दोबारा टैण्डर किया जायेगा। दोबारा टैण्डर होने पर भी एकल निविदा प्राप्त होती है तो उसे विचार कर स्वीकृत किया जा सकता है।

17. ठेके का कार्य किसी भी स्थिति में अन्य फर्म/व्यक्ति को हस्तान्तरण नहीं होगा तथा ठेके की स्वीकृत राशि के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की राशि/पारिश्रमिक का भुगतान पृथक से फर्म/ठेकेदार को नहीं किया जायेगा।

18. परिसर में निर्मित सडकों, नीलामी चबूतरों, समस्त प्रकार की दुकानों, दुकानों के फड़ों, मूत्रालयों, शौचालयों, नालियों, बैंक भवन परिसर, कृषक विश्राम गृह एव कर्मचारी आवासों की सड़क व नाली की सफाई तथा मण्डी समिति कार्यालय एवं उसके चारों ओर की सफाई, दुकानों के बीच की गली, आगे पीछे की सफाई का कार्य प्रतिदिन सुचारू रूप से किया जायेगा तथा स्थापित सैप्टिक टैंको की सफाई भी करनी होगी तथा वर्ष में दो बार (माह नवम्बर एवं माह मई) समस्त भवनों की छतों व ड्रेन पाइपों की सफाई का कार्य करना होगा। रिक्त पड़ी भूमि में उगी हुई झाड़ियाँ आदि कीं कटाई एवं सफाई का कार्य समय-समय पर ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।

19. फल-सब्जी की सफाई कार्य के निमित्त 04 एवं खाद्यान्न खण्ड की सफाई कार्य के निमित्त 06 सफाई कर्मी के साथ-साथ ट्रैक्टर ट्राली चालक सहित पृथक-2 की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करनी होगी। किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि सफाई कार्य हेतु कोई बाल श्रमिक/अवयस्क नहीं लगाया जायेगा। ट्रैक्टर-ट्रॉली फर्म/फर्म स्वामी के नाम अथवा किराये/भाड़े पर ली ज़ा सकती है, जिसके लिए ट्रैक्टर की आर0सी0, बीमा, किरायानामा के अनुबंध की प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

20. सफाई कार्य में एकत्रित कूड़ा-करकट, सड़े गले पदार्थ, मृत जानवरों को अपने वाहन से खाद्यान्न खण्ड परिसर के बाहर उचित स्थान/नगर पालिका/जिला पंचायत द्वारा चिन्हित डम्पिंग ग्राउण्ड पर प्रतिदिन डाला जायेगा।

21. खाद्यान्न खण्ड से सुअरों, गायों आदि आवारा पशुओं/जानवरों को मण्डी स्थल से बाहर निकालने एवं उनके खाद्यान्न खण्ड परिसर में प्रवेश रोकने की जिम्मेदारी सफाई ठेकेदार की होगी।

22. सफाई व्यवस्था में प्रयोग होने वाले संयत्र जैसे झाडू, ठेला, फावड़ा, डलियाँ, परात, ब्लीचिंग पाउडर, चूना एवं सफाई में प्रयोग होने वाली सफाई की अन्य व्यवस्थायें स्वयं करनी होगी। सफाई कार्य के लिये प्रयोग में आने वाले समस्त यन्त्र तथा सार्वजनिक मूत्रालय व शौचालय में सफाई हेतु प्रयुक्त होने वाले फिनायल, एसिड, चूना व अन्य रसायन पदार्थ आदि की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करनी होगी।

23. अनुबन्धित ठेकेदार को आर्गेनिक, इन-आर्गेनिक एवं पॉलीथिन/प्लास्टिक तीनों प्रकार के अपशिष्टों को पृथक-पृथक रूप से एकत्रित करने के साथ-साथ आर्गेनिक अपशिष्ट को

Scanned with OKEN Scanner

बायोकम्पोस्टिंग के प्रयोग के अतिरिक्त ठोस अपशिष्ट/म्यूनिसिपल अपशिष्ट जनपद के प्रोसेसिंग प्लाण्ट या स्थानीय निकाय या जिला पंचायत द्वारा चिन्हित डम्पिंग ग्राउण्ड पर नियमानुसार ले जाकर निस्तारण की व्यवस्था स्वयं के वाहन आदि से करनी होगी।

24. सफाई करने का समय इस प्रकार निश्चित किया जायेगा कि व्यापारी कार्य बाधित न हो तथा नियमित रूप से सफाई कार्य हो सके।

25. निविदा स्वीकृत होने पर नियमानुसार निर्धारित देय स्टाम्प शुल्क पर निर्धारित शर्तों का अनुबन्ध फर्म/ठेकेदार एवं मण्डी समिति के मध्य निविदा की शर्तों के अनुरूप ठेका स्वीकृत होने के 15 दिन के अन्दर विधिवत सम्पादित कराना होगा। जिसका समस्त व्यय ठेकेदार को स्वयं वहन करना होगा।

26. सफाई कार्य के मासिक बिलों से वर्तमान लागू दर से आयकर/टी0डी0एस0 की कटौती, जो नियमानुसार देय हो, की जायेगी तथा समय-समय पर भारत सरकार द्वारा लागू आयकर की दरें प्रभावी होंगी।

27. ठेकेदार द्वारा किया गया कार्य सन्तोषजनक नहीं पाया जाता है तो उसके मासिक बिल से कटौती किये जाने का समिति को अधिकार होगा। जो ठेकेदार को स्वीकार होगा। यदि पुनरावृति होती है अथवा उच्चाधिकारियों के निरीक्षण में कहीं भी गन्दगी पायी जाती है तो जमानत धनराशि जब्त कर ठेकेदार के विरूद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही कर ठेका निरस्त करने का अधिकार मण्डी समिति में निहित होगा।

28. ठेकेदार को निर्धारित संख्या में सफाई श्रमिक कार्य पर लगाने होंगे। कम मजदूर लगाने पर बिल से लगाये गये कम मजदूरों की मजदूरी की कटौती नियमानुसार कर ली जायेगी।

29. मण्डी स्थल में लगाये गये सफाई श्रमिक से सम्बन्धित समस्त प्रकार की देयता का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।

30. सफाई ठेकेदार सफाई श्रमिकों का ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 जमा कराने के लिए उत्तरदायी होगा। सभी सफाई कर्मचारियों के ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0 आदि की कटौतियों का साक्ष्य ठेकेदार द्वारा समिति कार्यालय को अनिवार्य रूप से मासान्त में उपलब्ध कराया जायेगा।

31. ठेकेदार/फर्म द्वारा सफाई कार्य में लगाये गये कर्मियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रत्येक दिन सुबह एवं शाम को दर्ज कराई जायेगी, जिसकी जाँच समय-समय पर मण्डी सचिव अथवा उनके द्वारा अधिकृत कार्मिक द्वारा की जायेगी। तद्नुसार ठेकेदार/फर्म को भुगतान मासिक रूप से किया जायेगा।

32. भुगतान प्राप्त करने हेतु मासान्त में बिल दो प्रतियों के साथ पूरे मास का मस्टरोल गठित निगरानी समिति; जिसमें क्षेत्रीय कर्मचारी एवं व्यापारी सम्मिलित होंगे, से सफाई कार्य सन्तोषजनक होने का प्रमाण पत्र ठेकेदार द्वारा प्राप्त कर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। यदि गठित निगरानी समिति द्वारा सफाई कार्य सन्तोषजनक नहीं पाया जाता है तो तदनुसार बिल से कटौती कर ली जायेगी।

33. सभी सफाई कर्मचारियों को मासिक पारिश्रमिक/वेतन का भुगतान उनके बचत खातों में ऑनलाइन ठेकेदार द्वारा स्थानान्तरित किया जायेगा तथा ठेकेदार द्वारा पिछले माह का वेतन सभी कर्मचारियों के खातों में स्थानान्तरित किये जाने का साक्ष्य प्रस्तुत करने के उपरान्त ही ठेकेदार को अगले माह का सफाई का भुगतान किया जायेगा।

34. सफाई कार्य के लिये ठेकेदार द्वारा दिये गये बिल का भुगतान चैक के माध्यम से किया जायेगा। मजदूरों को समिति द्वारा सीधे कोई भुगतान नहीं किया जायेगा। मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान ठेकेदार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन समय-समय पर स्वीकृत दरों पर किया जायेगा अर्थात ठेकेदार/फर्म द्वारा सफाई कार्य में लगाये गये सफाई कर्मियों को "न्यूनतम मजदूरी भुगतान सहित सभी संगत विधिक प्राविधानों" का पालन करना अनिवार्य होगा।

Scanned with OKEN Scanner

35. सफाई ठेकेदार द्वारा मण्डी समिति से भुगतान प्राप्त होने के उपरान्त कोई सफाई कर्मचारी मण्डी समिति कार्यालय में भुगतान प्राप्त न होने की शिकायत करता है तो ठेकेदार के बिल का भुगतान रोक दिया जायेगा।

36. सफाई कार्य में रखे सफाई कर्मचारियों के फोटोयुक्त पहचान पत्र ठेकेदार द्वारा बनवाकर उसे सचिव, मण्डी समिति से प्रति हस्ताक्षरित कराकर प्रत्येक कर्मचारी की टी–शर्ट पर लगाना होगा। इससे भिन्न व्यवस्था अवैध होगी।

37. सफाई कार्य के दौरान किसी कर्मी के साथ यदि कोई दुर्घटना/जोखिम होता है तो उसके लिये ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा। समिति द्वारा कोई दावा/सहायता स्वीकार नहीं किया जायेगा।

38. ठेकेदार/अनुबन्धकर्ता को लेबर सेस, विभागीय कर/आयकर एवं अन्य करों तथा शासकीय देयताओं का भुगतान करना होगा। आशय यह है कि भुगतान करते समय समस्त प्रकार के करों की कटौती स्रोत पर करते हुए धनराशि बिल से काटकर सम्बन्धित विभाग में नियमानुसार जमा करायी जायेगी।

39. निर्धारित संख्या से कम मजदूर लगाये जाने पर ठेकेदार के बिल से मजदूरी की कटौती करते हुए नोटिस दिया जायेगा तथा नियमित तीन दिन तक कम मजदूर लगाये जाने की स्थिति में "सफाई निगरानी समिति" की संस्तुति पर कारण बताओ नोटिस देते हुए जमानत राशि जब्त करने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त सफाई संतोषजनक न होने की स्थिति में भी उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जायेगी।

40. कार्य संतोषजनक न होने की दशा में जमानत राशि मण्डी समिति के पक्ष में जब्त करने तथा ठेका निरस्त करने का अधिकार मण्डी समिति में निहित होगा।

41. मण्डी स्थल में रखे गये श्रमिकों से निविदादाता को स्वयं अपनी उपस्थिति में पूरे समय सफाई का कार्य कराना होगा। अलग से कोई मेट/सुपरवाइजर नहीं रखा जायेगा, यदि फिर भी रखा जाता है, तो उसकी गणना सफाई श्रमिकों में नहीं की जायेगी तथा उसका भुगतान भी नहीं किया जायेगा।

42. यदि अनुबन्धकर्ता स्वयं सफाई ठेका छोड़ना चाहता है तो उसे तीन माह पूर्व मण्डी समिति को सूचना देनी होगी। इससे कम अवधि में ठेका छोड़ने (कार्य न करने) की दशा में जमानत के रूप में जमा धनराशि वापस नहीं की जायेगी।

43. समय–समय पर निर्गत शासनादेशों/मण्डी परिषद एवं मण्डी समिति द्वारा दिये गये आदेशों/निर्देशों का पालन अनुबन्धकर्ता/ठेकेदार/निविदादाता को करना होगा।

44. ठेके से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का विवाद होने पर अंतिम निर्णय का अधिकार निविदा समिति का रहेगा।

(अनिल कुमार)
सचिव
मण्डी समिति, जहाँगीराबाद

(प्रियंका कुमारी)
उपजिलाधिकारी/सभापति
मण्डी समिति, जहाँगीराबाद

Scanned with OKEN Scanner

कृषि उत्पादन मण्डी समिति, जहाँगीराबाद (बुलन्दशहर)

सम्पूर्ण मण्डी परिसर की सफाई ठेका हेतु निविदा फार्म

फार्म मूल्य रू0 250.00+G.S.T.रू0 45.00

1. निविदादाता फर्म/व्यक्ति का नाम : ....
2. निविदादाता फर्म/व्यक्ति का पूर्ण स्थायी पता : ....
3. निविदादाता फर्म/व्यक्ति का पूर्ण वर्तमान अस्थायी पता : ....
4. मोबाइल नं0 : .... ई–मेल यदि हो : ....
5. पैनकार्ड सं0 : .... 6. जी0एस0टी0 पंजीकरण सं0 : ....
7. श्रम विभाग पंजीकरण सं0 : .... 8. चरित्र प्रमाण पत्र सं0 : ....
9. आधारकार्ड संख्या : .... 10. जाति ....
11. वांछित अनुभव प्रमाण पत्र/टर्न ओवर की प्रति संलग्न है अथवा नहीं ....
12. संलग्न जमानत राशि एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0/बैंक गारण्टी (जो सचिव मण्डी समिति, जहाँगीराबाद के नाम बंधक हो) संलग्न है/नहीं।

    संख्या.................... दिनांक.................... धनराशि....................

    बैंक/डाकघर का नाम ....
13. निविदादाता के पास उपलब्ध संसाधन (ट्रैक्टर–ट्राली/भैंसा–बुग्गी/सफाई यंत्र आदि भरें।) : ....

    ....
14. सफाई कार्य हेतु लगाये जाने वाले मजदूरों की सं0 ....
15. संलग्न किये गये प्रमाण–पत्रों/दस्तावेजों की सूची–

1–	2–	3–
4–	5–	6–

घोषणा

मैं .... पुत्र श्री .... निवासी .... एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं समिति द्वारा सफाई कार्य हेतु बनाये गये नियम व शर्तों का पूर्ण रूप से पालन करूँगा/करूँगी। शर्तों का पालन न किये जाने पर अथवा कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में मण्डी समिति द्वारा नियमानुसार की गयी कटौती/दण्ड/कार्यवाही मुझे स्वीकार होगा। मेरे द्वारा कार्य स्थल का भलीभांति निरीक्षण कर लिया गया है। मैं पूर्ण निष्ठा से सद्भावनापूर्वक कार्यों का सम्पादन करने के लिये बाध्य होऊँगा/होऊँगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर ....

निविदादाता का नाम ....

Scanned with OKEN Scanner

कृषि उत्पादन मण्डी समिति, जहाँगीराबाद (बुलन्दशहर)

<u>सफाई ठेका की वित्तीय बिड हेतु</u>

1. निविदादाता फर्म/व्यक्ति का नाम ....
2. सफाई कार्य हेतु दर रू0 में (अंकों में) ....
3. सफाई कार्य हेतु दर रू0 में (शब्दों में) ....

<u>घोषणा</u>

मैं .... पुत्र श्री .... निवासी .... एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं समिति द्वारा सफाई कार्य हेतु बनाये गये नियम व शर्तों का पूर्ण रूप से पालन करूँगा/करूँगी। त्रुटिपूर्ण दरों के सम्बन्ध में कोई दावा नहीं करूँगा। नियम व शर्तों का पालन न किये जाने पर अथवा कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में मण्डी समिति द्वारा नियमानुसार की गयी कटौती/दण्ड/कार्यवाही मुझे स्वीकार होगा। मैं पूर्ण निष्ठा से सद्भावनापूर्वक कार्यों का सम्पादन करने के लिये बाध्य होऊँगा/होऊँगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर ....

निविदादाता का नाम ....

Signature Not Verified
Digitally signed by AJAY KUMAR YADAV
Date: 2026.05.19 16:39:42 IST
Location: Uttar Pradesh-UP

Scanned with OKEN Scanner